न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 66/2017 (223 आरटीए) जेठाराम वगै. बनाम अहसान वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00193)

1 जेठाराम पुत्र श्री बिरदाराम,
2 अनाराम पुत्र श्री बिरदाराम,
3 ढगलाई पत्नी श्री बिरदाराम,
4 श्यामलाल पुत्र श्री अचलाराम,
5 झुमरराम पुत्र श्री गोकलराम,
6 रामपाल पुत्र श्री गोकलराम,
7 सुगनाराम पुत्र श्री गोकलराम,
8 नरसिंहराम पुत्र श्री गोकलराम,
9 श्रवणराम पुत्र श्री गोकलराम,
10 बक्साराम पुत्र श्री भंवराराम,
11 बाबूराम पुत्र श्री भंवराराम,
12 हड़मानराम पुत्र श्री भंवराराम,
13 भाकरराम पुत्र श्री भंवरराराम,
14 धनाराम पुत्र श्री भंवराराम

सभी जातियान बावरी, निवासी रणसीगांव, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 अहसान पुत्र श्री मुबारक,
2 बदरुद्दीन पुत्र श्री मुबारक,
3 सलीम मोहम्मद पुत्र श्री मुबारक,
4 सईद मोहम्मद पुत्र श्री मुबारक,
5 सदीक मोहम्मद पुत्र श्री मुबारक

सभी जातियान मुसलमान, निवासी रणसीगांव तह. बिलाड़ा जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बिलाड़ा (कैप रणसीगांव) दिनांक 07.06.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 55/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
2 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बिलाड़ा (कैप रणसीगांव) के राजस्व वाद सं. 55/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाड़ा (कैप रणसीगांव) के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 55/2016 पेश किया कि अपीलांट्स/वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की वाके ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नं. 684 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 684/1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 684/2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 684/3 रकबा 10 बीघा खसरा नं. 684/4 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा स्थित है जिसके वादीगण/अपीलांट्स खातेदार काश्तकार हैं जिसके सबूत के तौर पर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश किया गया है। अपीलांट्स अनुसूचित जाति के अनपढ़ काश्तकार व गरीब तबके के लोग हैं जो संपूर्ण रूप से अपनी खेती पर ही निर्भर हैं एवं अपने परिवार का भरणपोषण भी खातेदारी भूमियों से होने वाली आय से ही प्राप्त करते हैं। वादीगण/अपीलांट्स की पैतृक भूमि है जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से राजस्व रिकार्ड मे कब्जा काश्त चला आ रहा है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स वादीगण की भूमि पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स बदमाश प्रवृत्ति के लोग है जो जबरदस्ती वादीगण की भूमि दबाना चाहते हैं यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कृत्य कर दिया जाता है तो वादीगण/अपीलांट्स को अपूर्णीय क्षति होगी जिससे विवाद बढ़ेगा व मुकदमे बाजी होगी ऐसी स्थिति में यह दावा पेश किया गया एवं अपीलांट्स/वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर किया व प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स की ओर से जवाबदावा पेश किया गया कि

सेटलमेंट के बाद खेत की पासबुक में नक्शा जारी किया हुआ है जिसके अनुसार ही मौके पर प्रतिवादीगण कब्जा काश्त कर रहे हैं। मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष धारा 11, 128 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो विचाराधीन है। अतः वादीगण का यह दावा चलने योग्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट्स व अपीलांट्स के खातेदारी भूमि खसरा नं. 685, 685/1, 685/2, 685/3, 685/4 कुल खसरा 5 कुल रकबा 70 बीघा 16 बिस्वा का पूरा रकबा संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच–आई–जे–के–एल की भूमि पर होता है तथा इसी मार्क भूमि पर प्रतिवादीगण व वादीगण का सेटलमेंट से पूर्व से लेकर आज दिन तक मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मियों की भूल से नक्शा ट्रेस में संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच–आई–जे–के–एल की भूमि तरमीम नहीं हैं जिसके कारण मौके पर हमेशा विवाद बना रहता है। इस विवाद को मिटाने हेतु रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण ने हमेशा के लिए मिटाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष अपीलांट्स/वादीगण के विरुद्ध धारा 111, 128 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का राजस्व प्रार्थना पत्र दावे से पूर्व ही पेश कर दिया जैसे ही अपीलांट्स/वादीगण को नोटिस प्राप्त हुए तो संलग्न नजरी नक्शे मार्क ए–बी–सी–जे–के–एल की भूमि को दबाने हेतु दावा रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया गया अतः जब धारा 111, 128 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का राजस्व प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। अतः रेस्पोडेंट्स की ओर से अपीलांट्स/वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रकरण ग्राम रणसीगांव के कैंप कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत किया गया व उभयपक्ष अधिवक्ता गण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस में रखा गया व उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स/वादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया कि वो वादीगण की ग्राम रणसीगांव की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. खसरा नं. 684 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 684/1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 684/2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 684/3 रकबा 10 बीघा खसरा नं. 684/4 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करे। वादीगण/अपीलांट्स द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का

अनुतोष सिर्फ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाबदावा के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच–आई–जे–के–एल की भूमि की हद तक कायम रहेगा। जवाब दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग समझा जावे। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मनमाने तरीके से पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निर्णय करने में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की वादीगण प्रस्तुत दावे का प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश किया गया एवं पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात मुकर्रर थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को मनमाने ढंग से राजस्व शिविर में ले जाकर निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की न कोई सहादत दर्ज की तथा दावे में मनमाना फैसला कर दिया जबकि दावे की कार्यवाही में में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लिया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा जबाब दावे के साथ पेश किये गए काल्पनिक नक्शे को आधार मानकर दावे में डिक्री जारी कर दी एवं राजस्व विभाग द्वारा तैयार शुदा राजस्व नक्शे को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। इस मामले में विचारण न्यायालय ने स्वयं द्वारा धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अन्य मामले में पारित आदेश को आधार मानते हुए फैसला कर दिया जबकि कानूनन ऐसा किया ही नहीं जा सकता था एवं जब नियमित वाद विचाराधीन था तो धारा 128 के तहत कोई आदेश पारित ही नहीं किया जा सकता था। स्वयं राज्य सरकार ने इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए थे कि न्यायालयों लंबित नियमित वादों को राजस्व शिविरों में ले जाकर निर्णित नहीं किया जावे परंतु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नजरंदाज करते हुए फैसला कर दिया है। इस मामले को लोकअदालत के माध्यम से निस्तारण हेतु पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा भी नहीं हुआ था और न ही पक्षकारान सहमत थे उसके बावजूद भी पत्रावली को कैंप कोर्ट ले गए वहां केवल उभय पक्षकारान के अधिवक्ता

की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए थे तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि यह मैटर डिस्प्यूटेड है इसलिए इसमें तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य के पश्चात ही निर्णय हो सकता है इस स्टेज पर कोई निर्णय संभव नहीं हैं पक्षकारान ने भी कोई राजीनामा पेश नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को फैसल कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के दावे में जिस तरह की डिक्री जारी की है वैसी डिक्री जारी करने के कानून में कोई प्रावधान नहीं हैं, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णरूप से मनमाना एवं गैरकानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजरंदाज कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स जबानी कथन के आधार पर फैसला किया है जो निरस्त करने योग्य है। नक्शा को दुरस्त करने संबंधी कोई निर्णय में फाइंडिंग नहीं हैं और न ही कोई इस संबंध में दस्तावेज पेश हुए हैं। धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिए गए आदेश को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय ने स्टे कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज करने व प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में कथन किया कि जुलाई 2016 से खसरा नं. 685/1 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा में रेस्पोडेंट्स कांटों की तारबंदी कर रहे थे तो अपीलांट्स ने रोक दी जिससे रेस्पोडेंट्स खेती से महरूम हो गए। सेटलमेंट के समय पासबुक जारी हुई जिसमें रोड तक जमीन का नक्शा है अब नक्शा ट्रेस गलत बना दिया है। रेस्पोडेंट्स ने नक्शा दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार हुआ है। धारा 111, 128 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अनुसार नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ– जी–एच–आई–जे–के–एल पर भूमि पूरी होती है। उसके बाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा जवाबदावा के आधार पर निर्णित हुआ है। रेस्पोडेंट्स की जमीन अब पूरी हो गई है तथा अपीलांट्स की भी जमीन पूरी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के अधिवक्ता श्री जगदीश सोलंकी ने पूरी बहस की है बहस नहीं करने का कोई तथ्य उल्लेख नहीं है। जवाब में रेस्पोडेंट्स की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का हवाला दिया है उसके बाद प्रकरण में सहमति से बहस हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध

अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण को लोकअदालत/कैंप कोर्ट में निर्णित किया गया है। इसलिए सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि इसके लिए आवश्यक शर्तों की पालना की गई है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की दिनांक 03.04.2017 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली कायमी तनकीयात दिनांक 08.05.2017 रखी गई थी। लेकिन दिनांक 01.05.2017 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 07.06.2017 को लोक अदालत/कैंप कोर्ट अटलसेवा केन्द्र रणसीगांव मं वास्ते राजीनामा/सहमति/निर्णय हेतु पेश होने का उल्लेख है तदनुसार सभी पक्षकारान को नोटिस जारी करने का आदेश अंकित है।

दिनांक 07.06.2017 की आदेशिका में अंकन है कि पत्रावली आज बमुकाम रणसीगांव लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। वादीगण की ओर से वकील श्री जगदीश सोलंकी व प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित हुए। आदेशिका में यह भी उल्लेख है कि वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण इस मामले में तनकीयात कायमी एवं वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं तथा प्रकरण पर सीधी बहस करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रकरण में सीधी बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया है।

लेकिन दिनांक 01.05.2017 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 07.06.2017 को लोक अदालत/कैंप कोर्ट अटलसेवा केन्द्र रणसीगांव मं वास्ते राजीनामा/सहमति/निर्णय हेतु पेश होने का उल्लेख है तदनुसार सभी पक्षकारान को नोटिस जारी करने का आदेश अंकित है परंतु पक्षकारान को कोई नोटिस जारी नहीं हुए हैं केवल पक्षकारान के अधिवक्ता ही शिविर में उपस्थित हुए। जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.06.2017 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण इस मामले में तनकीयात कायमी एवं वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं तथा प्रकरण पर सीधी बहस करना चाहते हैं। इसका यह अर्थ है कि उभय पक्षकारान के अधिवक्ता केवल प्रकरण में तनकीयात कायम किए बिना एवं साक्ष्य पेश किए बिना बहस करने हेतु सहमत हुए थे परंतु ऐसा क्यों किया गया इसका उल्लेख नहीं हैं। इससे यह प्रकरण लोक अदालत की भावना से निर्णित किया हुआ नहीं हैं। यह प्रकरण एक तरह से कैंप कोर्ट में ले जाकर बिना तनकीयात व बिना साक्ष्य कराए सीधे ही बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने मैरिट पर निर्णित किया है। अब यह देखना है कि पारित किया गया निर्णिय कानूनी प्रावधानों के अनुसार

विधिअनुसार पारित किया गया है या नहीं।

8 उक्त प्रकरण ग्राम रणसीगांव के कैंप कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत किया गया व उभयपक्ष अधिवक्ता गण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस में रखा गया व उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स/वादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया कि वो वादीगण की ग्राम रणसीगांव की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. खसरा नं. 684 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 684/1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 684/2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 684/3 रकबा 10 बीघा खसरा नं. 684/4 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करे। वादीगण/अपीलांट्स द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिर्फ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाबदावा के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच–आई–जे–के–एल की भूमि की हद तक कायम रहेगा। जवाब दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग समझा जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में वादीगण के दावे को आंशिक रूप से स्वीकार किया है लेकिन अतिरिक्त अंकन करते हुए लिखा है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिर्फ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाबदावा के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच–आई–जे–के–एल की भूमि की हद तक कायम रहेगा। इसका अर्थ है यह है कि संलग्न नजरी नक्शे की भूमि पर ही अनुतोष दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह अतिरिक्त अंकन भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। इस आदेश से यह ज्ञात नहीं होता है कि वादीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से किस प्रकार स्वीकार किया गया है। प्रकरण को निर्णित करते समय विस्तृत विवेचन भी नहीं हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर धारा 111, 128 व 131 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार हो जाने के बाद मौके पर की गई पत्थरगढ़ी व मौका रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा नक्शे को संशोधन संबंधी रिकार्ड भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। इस प्रकार वांछित रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवेचन के प्रकरण को मैरिट पर निर्णित किया है जिसमें किए गए आदेश में कुछ ऐसी भाषा का भी अंकन किया है जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है।

इस न्यायालय की राय में इस प्रकार नियमित वाद जिसमें अनुसूचित जाति

के व्यक्तियों की भूमि पर कब्जा होने की संभावना है उसमें बिना तनकीयात कायम किए बिना साक्ष्य लिए बिना राजीनामा के, केवल बहस के लिए अधिवक्ताओं द्वारा सहमति व्यक्त करने से निर्णित नहीं किया जा सकता। वादीगण को अपने दावे को सिद्ध करने का पूर्ण अवसर न्यायालय ने प्रदान नहीं किया है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा के बिना प्रकरण में सीधी बहस करने का कोई औचित्य नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों से हट कर सरसरी तौर पर पारित किया गया है जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है एवं प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाड़ा (कैप रणसीगांव) का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दावा एवं जबाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की जावें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर प्रकरण में विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए तनकी वार विवेचन कर पुनः निर्णय एवं डिक्री पारित करें।

16/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर